ifjogu foHkkx esa lpuk çkS|kfxdh ç.kkyh ij fu"iknu ys[kkijh{kk

dk;ldkjh lkjk'k

”मोटर वाहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण” पर निष्पादन लेखापरीक्षा को 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) में शामिल किया गया था। इसके पश्चात् विभाग ने तीन नए सॉफ्टवेयर जैसे– वाहन 4.0, सारथी 4.0 और ई–चालान ऐप को वर्ष 2016–17 से 2020–21 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किया। राज्य के कुल राजस्व का लगभग छः प्रतिशत का योगदान परिवहन विभाग देता है। पाँच वर्षों में अर्थात 2016–17 से 2020–21 के दौरान ऑन–लाइन प्रणाली से राजस्व संग्रहण ₹ 20,122.61 करोड़ था। ऑन–लाइन प्रणाली के माध्यम से राजस्व संग्रह वर्ष 2016–17 में 41.03 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020–21 में 82.79 प्रतिशत हो गया।

परिवहन विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा पाँच वर्षों अर्थात 2016–17 से 2020–21 तक की अवधि के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की गई थी कि क्या वाहन (वाहनों के लिए एप्लीकेशन), सारथी (ड्राइविंग लाइसेन्स के लिए एप्लीकेशन) और ई–चालान ऐप (प्रवर्तन के लिए) से विभाग के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई; क्या वाहन, सारथी और ई–चालान ऐप के लिए सुरक्षा और अन्य सामान्य नियंत्रण परिभाषित किए गए थे और व्यवसायिक आवश्यकता के अनुरूप उनका पालन किया गया था; एवं क्या व्यवसायिक नियमों को ठीक से प्रतिचित्रित किया गया था और सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन में सभी आवश्यक कार्यक्षमताएं प्रदान की गई थीं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग ने सारथी 4.0 और वाहन 4.0 एप्लीकेशनों को क्रमशः 15 और 7 महीने के विलम्ब से लागू करना प्रारम्भ किया एवं क्रमशः 19 और 37 महीने के विलम्ब के साथ इसको पूर्ण किया। कार्यान्वयन में विलम्ब का कारण अभिलेख में नहीं पाया गया। वाहन एप्लिकेशन में अभी भी मिलान और धनराशि की वापसी के लिए मॉड्यूल की कमी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की सुरक्षा के संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के महत्वपूर्ण निर्देशों के अनुपालन का आश्वासन देने में विफल रहा। लीगेसी डेटा के पूर्ण डिजिटलीकरण को प्राप्त करने में भी विफल रहा एवं इस प्रकार संबंधित हितधारकों को ऑन–लाइन डेटा/सेवाओं के लाभों से वंचित रहना पड़ा।

अप्रैल 2016 से मार्च 2021 की अवधि के लिए वाहन डाटा के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली विभाग के उचित एवं सही व्यवसायिक नियमों के प्रतिचित्रण में विफल रही जिससे अतिरिक्त कर के आरोपण एवं संग्रहण, अतिरिक्त कर एवं इलेक्ट्रिक वाहन पर कर के विलंबित भुगतान के शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। स्वस्थता प्रमाण पत्र के विलम्ब से नवीनीकरण पर शास्ति आरोपित नहीं की गई। ऐसे वाहनों को चलने से रोकने के लिए कोई तंत्र नहीं था जिनके लिए स्वस्थता प्रमाण पत्र, परमिट और राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण नहीं किया गया था। इसी प्रकार, परमिट जारी करने, नवीनीकरण या प्राधिकार का नवीनीकरण पर कोर्ट फीस भी आरोपित नहीं किया गया था। अन्य मामलों में, यह देखा गया कि परमिट/फिटनेस का नवीनीकरण बिना प्रशमन शुल्क वसूल किए ही किया गया था। प्रशमन शुल्क के ऑन–लाइन भुगतान के मामले में, जो शुल्क वसूल किया गया था, वह आरोपित किये गए प्रशमन शुल्क की धनराशि से कम था।

लेखापरीक्षा ने यह भी दर्शाया कि विभाग ने विभिन्न डेटा इनपुट्स/आउटपुट्स के लिए सत्यापन जांच सुनिश्चित नहीं गयी थी। इसके परिणामस्वरूप सत्यापन नियंत्रणों की कमी हुई जिसके कारण डेटा की शुद्धता, समग्रता और संपूर्ण डेटा का माइग्रेशन संदिग्ध था। परिवर्तन प्रबंधन और सक्रिय विश्लेषिकी पोर्टल के दस्तावेज़ीकरण का अभाव था। मिलान सॉफ्टवेयर के अभाव में राजस्व के ऑन–लाइन संग्रहण का मिलान शासकीय खाते में जमा धनराशि से नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा ने निष्कर्ष निकाला कि वाहन 4.0 और सारथी 4.0 एप्लीकेशन के कार्यान्वयन में देरी हुई, सामान्य नियंत्रण में कमियाँ पाई गई, एप्लीकेशन में व्यवसायिक नियम का सही प्रतिचित्रण नहीं किया एवं एप्लीकेशन में उचित सत्यापन की जाँच नहीं थी जिसके कारण उद्देश्यों की उपलब्धि में विफलता रहीं। इसलिए, लेखापरीक्षा ने अनुशंसा की, कि वाहन 4.0 और ई–चालान एप्लिकेशन की प्रणालीगत कमियों की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ऑन–लाइन डेटा/सेवाओं के लाभों को हितधारकों को देने का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। विभाग ने लेखापरीक्षा अनुशंसा को स्वीकार किया एवं बताया कि विभाग द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (रा.सू.वि.के.) के समन्वय से सभी कमियों का समाधान किया जाएगा।